Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 5, October-2022, ISSN 2230-7540

अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों पर मध्याह्न भोजन योजना के नामांकन और निरंतरता का आंकलन: एक अध्ययन

Ashish Jyotishi[1]*, Dr. Yuti Singh[2]

[1] Research Scholar, Department of Education, Sardar Patel University, Balaghat.

[2] Associate Professor, Department of Education, Sardar Patel University, Balaghat.

सार - ***प्राथमिक शिक्षा किसी भी शैक्षिक भवन की नींव होती है। शिक्षा का संबंध केवल व्यक्ति से ही नहीं पूरे समाज से है। सभी सभ्य समाजों ने इसे अनिवार्य कर दिया। माध्यमिक शिक्षा विकास का सूचक है। माध्यमिक शिक्षा अध्ययन का एक अंतःविषय क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों से शैक्षिक अनुसंधान में योगदान में वृद्धि हुई है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा में सीमित शोध विशेष रूप से स्कूल में चल रही योजना के मूल्यांकन पर शिक्षा विभाग के बाहर लिया जाता है। इस अध्ययन में, माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के नामांकन, ड्रॉपआउट, प्रतिधारण और उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) अर्थात् मध्याह्न भोजन योजना संभावनाओं और चुनौतियों दोनों के लिए लाया है। जब कोई योजना शुरू की गई, तो प्रशासकों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों की शिकायतें अक्सर सुनी जाती हैं। चूंकि ये चुनौतियाँ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनमें योजनाओं की प्रभावशीलता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधा डालने की बहुत अधिक क्षमता है, इसलिए उन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना का सही ढंग से मूल्यांकन और परिशोधन करना होगा।***

मुख्य शब्द - अनुसूचित जनजाति ए मण्डला जिले

----------X----------

प्रस्तावना

वर्तमान युग वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांतियों की उपज है। राष्ट्र दूसरों पर वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह सर्वोच्चता सैन्य शक्ति या सामूहिक विनाश के हथियारों के कब्जे तक ही सीमित नहीं है , बल्कि जानकारी प्राप्त करने और नई जानकारी बनाने से एक राष्ट्र दूसरों पर बढ़त बना सकता है। शिक्षा की एक सुदृढ़ प्रणाली के बिना सूचना प्राप्त करने वाले और सूचना उत्पन्न करने वाले समाजों की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा एक प्रगतिशील राष्ट्र की रीढ़ है। यह राष्ट्र को एक संतुलित आहार प्रदान करता है जिसमें आवश्यक तत्व होते हैं। एक राष्ट्र जो शिक्षित नहीं है वह पिछड़ा रहता है। शिक्षा जीवन का एक अनिवार्य तत्व है जो जन्म से शुरू होता है और जीवन भर औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से जारी रहता है। शिक्षा एक व्यक्ति को गुण प्राप्त करने और एक सच्चा इंसान बनने में सक्षम बनाती है। शिक्षा एक व्यक्ति को अंधेरे से बाहर निकालकर ज्ञान के एक पूल की ओर खींचने की प्रक्रिया है। शिक्षा एक व्यक्ति को गरीबी और दुख से उबरने में मदद करती है और यह व्यक्ति को सामाजिक , शारीरिक रूप से मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित करके समृद्धि और खुशी की ओर ले जाती है। शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक घटक और साधन दोनों है श्री के.सी. पंत पूर्व शिक्षा मंत्री ने ***1985*** में राज्य के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में अपने भाषण में कहा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के सभी पुरुषों और महिलाओं और प्रत्येक बच्चे को ज्ञान कौशल , दृष्टिकोण और मूल्यों के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जो विकास को बढ़ावा देते हैं।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण

www.ignited.in

शिक्षा लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने में एक लीवर के रूप में काम करती है, इसलिए शिक्षा पर खर्च को अर्थशास्त्रियों के साथ-साथ शिक्षाविदों द्वारा एक लाभदायक निवेश माना जाता है। किसी देश की आर्थिक स्थिति काफी हद तक उसके लोगों के शैक्षिक मानकों पर निर्भर करती है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा आधार है और बहुमत के लिए अधिकतम या आवश्यक अधिग्रहण होना चाहिए। एक प्रख्यात शिक्षक, जे.पी. नाइक के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की प्रगति समग्र रूप से एक देश के सामान्य, सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचकांक है। उन्होंने अच्छी प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व और राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान पर जोर दिया। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति ध् अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई प्रयास किए गए। इसलिए, अंशकालिक गैर-औपचारिक निरंतरता शिक्षा की एक प्रणाली तैयार की गई थी। भारत में कई बच्चे उन्हें दिए गए शैक्षिक अवसरों का लाभ नहीं उठाते हैं। अधिकांश गैर-नामांकित बच्चे गरीब परिवारों के हैं और माता-पिता की आय के पूरक के लिए उन्हें कम उम्र में काम करना पड़ता है। भारत की आबादी का लगभग 40ः बच्चे हैं। वे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक तबके से संबंधित हैं। उनमें से अधिकांश को अपने माता-पिता के सामाजिक-आर्थिक अभाव विरासत में मिलते हैं। उनके पास पोषण , स्वास्थ्य देखभाल और सीखने के अवसरों की आवश्यक आवश्यकताओं तक पहुंच नहीं है। भारतीय संविधान के संस्थापक इस स्थिति से अवगत थे। इसलिए , भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 39 में यह निर्धारित किया है कि राज्य अपनी नीति को इस प्रकार निर्देशित करेगा -

क) यह कि श्रमिकों , पुरुषों के स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिकों को उनकी ताकत की उम्र के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है।

इ) बच्चों को स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं और बचपन और युवाओं को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है।

विकासशील देशों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था जिसे 1950 में बढ़ाया और अपनाया गया था। इस लेख में कहा गया है। राज्य संविधान के लागू होने की तिथि से दस वर्ष के भीतर चैदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

हालाँकि पंजाब प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1960 (1960 का पंजाब अधिनियम संख्या 39) ने पंजाब राज्य में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम पारित किया है , फिर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। शिक्षा आयोग ने 1986 में इस लक्ष्य को संशोधित किया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह निर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत निर्देशक सिद्धांत की शीघ्र पूर्ति के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

आजादी के दो दशक बाद केवल 76 फीसदी बच्चों का प्राथमिक स्कूलों में नामांकन हुआ। उनमें से बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं हुई। ड्रॉपआउट दर ने भी बड़ी चिंता का कारण बना। दुर्भाग्य से , साठ के दशक के अंत तक बच्चों के शारीरिक और शैक्षिक विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कई कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के विकास के लिए कोई समग्र नीति नहीं थी। बाल अधिकारों की घोषणा के बाद , भारत सरकार ने अगस्त 1974 में बच्चों के लिए संकल्प की नीति अपनाई। इस संकल्प ने घोषित किया

मंडला एक नजर में

मंडला एक आदिवासी बहुल जिला है , जो सतपुड़ा की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में स्थित है, जो ज्यादातर बिखरी हुई बस्ती में है। मध्य प्रदेश के पूर्व-मध्य भाग में स्थित जिला लगभग पूरी तरह से नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। एक गौरवशाली इतिहास वाला जिला , मंडला कई नदियों से मिलकर बना है और समृद्ध जंगलों से संपन्न है। जिले में स्थित दुनिया का प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान , घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए सबसे गर्म लक्ष्यों में से एक है। जिले की चरम लंबाई लगभग 133 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण और चरम चैड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 182 किलोमीटर है। यह 8771 वर्ग किमी के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है। और कुल जनसंख्या 10, 53,522 है।

www.ignited.in

जिले में 9 ब्लॉक 6 तहसीलें और 1221 रहने योग्य गांव हैं।

तालिका 1 जिले की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

क्रमांक	सूचक	वर्ष	मंडला	स्रोत
1	कुल परिवार	2011	249,187	Census of India
2	जनसंख्या	2011	10,53,522	Census of India
3	पुरुष	2011	525495	Census of India
4	महिला	2011	527028	Census of India
5	ग्रामीण	2011	923309	Census of India
6	शहरी	2011	130213	Census of India
7	विकास दर (:)	2011	17.8	Census of India
8	बाल जनसंख्या (0-6 वर्ष)	2011	144799	Census of India

मंडला जिलें में मध्याह्न भोजन योजना

मध्य प्रदेश में 31 मार्च , 1997 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में पका हुआ भोजन परोसा गया।जहां भारत सरकार द्वारा मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता था। राज्य सरकार ने रूपांतरण लागत के रूप में 0.75 पैसे ध् लाभार्थी ध् दिन बिताए। मध्य प्रदेश राज्य ने अप्रैल 1997 से सामुदायिक विकास खंडों के प्राथमिक विद्यालयों में पका हुआ मिड-डे मील देना बंद कर दिया , जबकि आदिवासी विकास खंडों में अभी भी पकाया हुआ भोजन परोसा जाता था।सामुदायिक विकास खंडों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से महीने में 20 दिनों के लिए 100 ग्राम ध् दिन अनाज दिया जाता है। एसएलपी संख्या 1962001 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप 28 नवंबर 2001 राज्य एम.पी. पका हुआ दलिया ध् थूली (दलिया) परोसना शुरू किया। जिसे धीरे-धीरे पूरे राज्य में विस्तारित किया गया।

इसी प्रकार मंडला जिलें के सरकारी प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को दलिया परोसा गया। 1 जुलाई, 2004 से मंडला के सरकारी प्राथमिक स्कूलों सहित पूरे राज्य में रुचिकर मिड डे मील योजना शुरू की गई थी।रुचिकर मिड डे मील योजना आरएमडीएमएस ने दाल और सब्जियों के साथ-साथ रोटी ध् चावल द्वारा दलिया को प्रतिस्थापित किया। अक्टूबर 2007 तक मंडला जिलें के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्कूल परिसर में भोजन पकाया जाता था। नवंबर 2007 से एक एनजीओ को केंद्रीयकृत रसोई में पकाया हुआ भोजन का ठेका दिया गया था।

प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम गरीबी-विरोधी शैक्षिक कार्यक्रम का आधार बन सकता है।

- 6-11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से नामांकन अधिकतम हो सकता है और स्कूल छोड़ने की दर कम हो सकती है, जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के साथ-साथ देश में उच्च साक्षरता दर की उपलब्धि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे।
- यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पपोषित और अल्पपोषित बच्चों को पोषण प्रदान करने में भी मदद करेगा। कार्यक्रम की व्यापक विशेषताएं थींरू -
- प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को चरणबद्ध तरीके से प्रति दिन 300 कैलोरी और प्रति बच्चा 12-15 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों की आपूर्ति।
- प्रति बच्चा प्रतिदिन व्यय , जिसमें प्रशासन पर व्यय 60 पैसे शामिल है।
- कोई विस्तृत प्रशासनिक अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जाना है।
- गरीबी उपशमन योजना के लिए चिन्हित प्रावधानों से कार्यक्रम के लिए आवश्यक धनराशि।
- राज्यों को उपयुक्त रसद विकसित करनी चाहिए और रसोइयों, सहायकों, प्रशासन, पर्यवेक्षण और निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

www.ignited.in

अध्ययन के उद्देश्य

- चयनित विद्यालयों में जेंडर वार के संबंध में छात्रों के नामांकन और अवधारण का आकलन करने के लिए।
- चयनित विद्यालयों में कक्षावार के संबंध में छात्रों के नामांकन और निरंतरता का आकलन करना।

परिकल्पना

- योजना के लागू होने से पहले माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन और बीच में छोड़ने वालों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन और प्रतिधारण दर के बीच कोई अंतर नहीं है।

अनुसंधान क्रियाविधि

मध्य प्रदेश की राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यूईई) को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। स्कूलों में स्कूली उम्र के बच्चों के नामांकन में बहुत प्रगति हासिल करके प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन सभी को विद्यालय में बनाए रखने में प्राप्त प्रगति नामांकन के अनुरूप नहीं है। पहचाने गए कारणों में से एक बच्चों को पौष्टिक भोजन की कमी है जो बदले में उनके शैक्षिक विकास पर प्रभाव डालता है, इस कमी को दूर करने के लिए सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएसपीई) को 3 किलो ग्राम देकर लागू कर रही है। चावल प्रति माह प्रति बच्चा जो 80 प्रतिशत उपस्थिति रखता है।

सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक वंचित आबादी तक पहुंचने के लिए और इस तरह उपरोक्त चार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गईं। ऐसे सभी बच्चों को जो शारीरिक श्रम , सड़क पर रहने वाले बच्चों, पलायन करने वाले बच्चों आदि में शामिल हैं, ऐसे सभी बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान जैसे बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान की जा रही है। इसके बावजूद, कुछ बच्चे अभी भी अक्षमता के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं।

गरीब आर्थिक स्थिति के कारण माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए , इन माता-पिता के लिए , अपने बच्चों को स्कूल भेजने का मतलब है - उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना। माता-पिता का रवैया होने के कारण उन्हें स्कूल लाने का एकमात्र तरीका उनके भोजन और पोषण संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना है। इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के बिना उच्च कोटि की आवश्यकताओं तक पहुँचना कठिन है। इस पहलू में सबसे महत्वपूर्ण डी-प्रेरक कारक बच्चों की खराब पोषण स्थिति है। इसलिए उनका ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक पोषण की पूर्ति करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

नमूना और नमूना

मंडला जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। मंडला तीन तरफ से नर्मदा नदी से घिरा है और नर्मदा नदी मंडला के उत्तर-पश्चिम की ओर से गुजरती है। जिले का सबसे उपजाऊ हिस्सा बंजर नदी की घाटी में पड़ता है जो नर्मदा की एक फीडर नदी है , जिले का यह उपजाऊ हिस्सा हवेली कहलाता है। हवेली के दक्षिणी भाग का पहाड़ी इलाका घने जंगलों से घिरा है। धान, गेहूं और तेल के बीज प्रमुख रूप से नदियों की घाटियों में उत्पादित होते हैं। लाख, लकड़ी की कटाई, पान की खेती , पशुपालन, उत्पादन चटाई और रस्सियों का उत्पादन लोगों के मुख्य रोजगार हैं। प्रशासनिक प्रयोजन के लिए मंडला जिले को 6 तहसीलों और 9 विकास खंडों में विभाजित किया गया है। मंडला जिले में तीन प्रमुख कृषि बाजार हैं- मंडला , नैनपुर और बिछिया। वर्तमान अध्ययन मंडला जिले के 4 मंडलों के 31 स्कूलों का चयन किया। पूरे शोधकर्ता ने वर्तमान अध्ययन में यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक के साथ जानकारी एकत्र की। प्रत्येक स्कूल से अन्वेषक ने शैक्षणिक वर्ष 2010-11 और 2011-12 से छात्रों के नामांकन , ड्रॉप आउट, निरंतरता और उपलब्धि का विवरण एकत्र किया। वर्तमान अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डेटा का विश्लेषण किया गया था। माध्यमिक डेटा अर्थात् साक्षरता दर और सामाजिक-आर्थिक नीतियों को विशेष रूप से संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों और सर्वशिक्षा अभियान कार्यालयों से एकत्रित माध्यमिक शिक्षा के लिए मंडल में लागू किया गया है। वर्तमान अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डेटा का विश्लेषण किया गया था।

तालिका 2 नमूना डिजाइन

www.ignited.in

जिले का नाम	मंडल का नाम	स्कूल का नाम
मंडला	बिछिया	पी.एस.बी.तार गांव
		पी.एस.घाटोरी
		एमपी वैष्णो देवी विद्या मंदिर
		पी.एम.पाकरा (नया)
		श्री ब्रिज बी सिंह इंटर कॉलेज
		एम.पी.किसान पी.एम.वी. बिछिया
	मंडला	पूर्व माध्यमिक विद्यालय कच्छिया
		प्राथमिक विद्यालय पुर गड़रिया
		मदरसा फैज-ए-फातिमा लिलबिनात
		मां गुरुदेवी विद्या मंदिर इंटर
		प्राथमिक विद्यालय सवधरा-प्प्
	नैनपुर	आश्रम बीपीएस अटरिया (जीपी)
		एचएस भालिवाड़ा
		एनएमएस बोरी पीपरदही
		प्रा. एचएसएस ज्ञान ज्योति नैनपुर
		एचएसएस उत्कृष्टता नैनपुर
		एचएसएस गल्र्स नैनपुर
		जनपद पीएस भैंसवाही
		एचएसएस भारभेली (जीपी)
	निवास	एचएसएस अमगवानी
		प्रा.एचएस सरस्वती एस.एम. निवास
		एचएसएस उत्कृष्टता निवास
		एचएस बॉयज निवास
		एचएसएस मॉडल निवास (आरएमएसए)
		एचएसएस गल्र्स निवास
		प्रा.हंसवाहनी पीएस अमाडोंगरी
		प्रा.एसएसएम पीएस भीखमपुर
		पीएस भीखमपुरी
		पीएस बिझौली
		पीएस चारगांव खुर्द

स्रोत- जिला शिक्षा अधिकारी, मंडला।

प्रत्येक स्कूल से अन्वेषक ने शैक्षणिक वर्ष 2010-11 और 2011-12 से छात्रों के नामांकन, ड्रॉप आउट और प्रतिधारण और उपलब्धि का विवरण एकत्र किया। प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। माध्यमिक डेटा अर्थात् साक्षरता दर और संबंधित मंडलों में लागू सामाजिक-आर्थिक नीतियां विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा के लिए संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों और सर्व शिक्षा अभियान कार्यालयों से एकत्र की जाती हैं। प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

डेटा का संग्रह

अन्वेषक ने व्यक्तिगत रूप से विभिन्न सत्रों में स्कूलों का दौरा किया , प्रधानाध्यापकों के साथ बातचीत की और शिक्षकों ने तालमेल स्थापित किया और अध्ययन के उद्देश्य और आवश्यकता के बारे में बताया। अध्ययन के लिए आवश्यक आंकड़े प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों से एकत्र किए गए थे।

डेटा विश्लेषण

इस अध्याय में जिले के चयनित मण्डलों के माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के नामांकन, बीच में ही छोड़ देने और प्रतिधारण तथा उनकी उपलब्धि पर मध्याह्न भोजन के प्रभाव के बारे में बताया गया है। भारत में , राज्य को सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यूईई) प्राप्त करने के लिए चैदह वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की उम्मीद है। यूईई के प्रति प्रतिबद्धता को सात पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रत्येक में दोहराया गया है और इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा आयोग (1964-66), बाल 1974 पर राष्ट्रीय नीति, 1974 में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट और हाल ही में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 और महिलाओं पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988-2004 सभी बिना कम स्कोर के विफल हो गए हैं। यूईई के कार्यक्रम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए।

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण 1960 तक प्राप्त किया जाना था। यह लक्ष्य 1991 में भी दूर दिखाई देता है और वर्तमान प्रगति की दर पर 2004 तक भी इसके प्राप्त होने की संभावना नहीं है। 1970 के दशक के अंत में यह महसूस किया गया था कि यूईई की समस्या प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन और उन्हें बनाए रखने में से एक थी और यह काफी हद तक नौ राज्यों , मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार, जम्मू और कश्मीर , मध्य तक सीमित थी। प्रदेश , राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन नौ राज्यों में गैर-नामांकित बच्चों का 75 प्रतिशत हिस्सा था , जिनमें बड़ी संख्या में लड़कियां थीं। राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद मध्यप्रदेश को भी शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों की सूची में जोड़ा गया है।

संवैधानिक निर्देश की व्याख्या 6-11 वर्ष की आयु के बच्चों की पांच वर्ष की अवधि की प्राथमिक शिक्षा, 11-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तीन वर्ष की उच्च

www.ignited.in

प्राथमिक शिक्षा और 14-16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दो वर्ष की माध्यमिक शिक्षा के रूप में की गई है। योजनाकारों द्वारा तद्नुसार , सार्वभौमीकरण माध्यमिक शिक्षा (यूएसई) के एक कार्यक्रम के रूप में 6-16 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को दस वर्ष की शिक्षा देने की योजना बनाई गई है। यूईई और यूएसई को प्राप्त करने के लिए, सरकार ने कई प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है, और मध्याह्न भोजन योजना उनमें से एक है। केंद्र और राज्य सरकारों ने इसे उच्च प्राथमिकता के आधार पर दिया है और इसे सभी स्तरों के स्कूलों के लिए अनिवार्य भी कर दिया है। कई शोध अध्ययनों और अन्य देशों की सरकारों ने भी इसे नोट किया है और वे भी अपने देशों में लागू करने का प्रयास करते हैं।

जिले में जनसंख्या , साक्षरता, स्कूल नामांकन , और ड्रॉपआउट दर

मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले के चयनित 4 मंडलों के 31 स्कूलों से डेटा एकत्र किया गया था और अध्ययन के उद्देश्यों और परिकल्पना के अनुसार व्याख्या की गई थी।

स्कूल आयु समूह की जनसंख्या का विवरण

जिले के स्कूली आयु वर्ग की जनसंख्या जानने के लिए अन्वेषक ने आँकड़ों को तालिका 3 में रखा है।

तालिका 3 जिले में 6-15 वर्ष के स्कूली आयु वर्ग की जनसंख्या

ज़िला	स्कूल आयु वर्ग की जनसंख्या 6-15 वर्ष								
	6-10 आयु समूह की जनसंख्या			11-12 आयु समूह जनसंख्या			13-15 आयु समूह जनसंख्या		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
मंडला	174351	164460	338811	72708	69162	142339	115090	108734	223824

स्रोत शैक्षिक सांख्यिकी - 2011, सी एंड डीएसई, आरवीएम (एसएसए), एम.पी.

तालिका 1 से ज्ञात होता है कि जिले में विद्यालय जाने वाले 6-10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 338811, विद्यालय जाने वाले 11-12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 142339 तथा विद्यालय जाने वाले बच्चों की आयु समूह 13-15 वर्ष है। जनसंख्या 223824 है।

11-15 वर्ष की आयु वर्ग माना जाता था और माध्यमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों की आबादी के अंतर्गत आता है, इसलिए जिले में माध्यमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों की कुल जनसंख्या 366163 है , उनमें लड़कों की संख्या 187798 और लड़कियों की संख्या 177896 है।

जिले में स्कूल जाने वाले 6-15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की आबादी को चित्र 1 में आरेखीय रूप से दिखाया गया है।

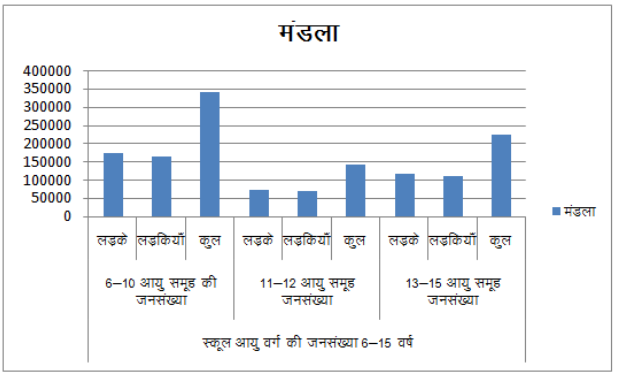

चित्र 1 जिले में 6-15 वर्ष के स्कूली आयु वर्ग की जनसंख्या

निष्कर्ष

जिले में 6-15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की साक्षरता दर 56.13 है, जिनमें लड़के 68.38 और लड़कियां 43.34 हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों की साक्षरता दर 44.48 है, लड़कों में 55.9 और लड़कियों की साक्षरता दर 32.48 है। एसटी वर्ग के बच्चों की साक्षरता दर 44.52, लड़कों में 57.22 और लड़कियों की साक्षरता दर 30.89 है। कुल विद्यालयों अर्थात प्राथमिक , उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयों को मिलाकर 1677 है। इनमें से कुल 1152 उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय ही अपने बच्चों की मध्याह्न भोजन योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। जिले में नामांकित माध्यमिक विद्यालय के बच्चों अर्थात छठी कक्षा से 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कवरेज 365554 है जिले में 2001-02 के दौरान पहली कक्षा में कुल नामांकन और 2010-11 के दौरान 10 वीं कक्षा पूरी करने वालों की संख्या 40650 है। जिले में स्कूल छोड़ने की दर 46.90 है। लड़कों में ड्रॉपआउट दर 43.43 और लड़कियों में 50.04 है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. ज्योत्सना जैन (2005) मध्य प्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना और मध्याह्न भोजन, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक 26 रूप 2005।

www.ignited.in

2. श्रीमती वीनुजे (2021) शादिवासी शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता के मुद्दे और अपेक्षित संशोधन प्राप्त 22 फरवरी, 2021; मोटारू 10 मार्च, 2021
3. जेम्स बेरी (2020) स्कूल-आधारित स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में भीड़-भाड़रू भारत के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी, जेईएल कोडूरू W15 p18 बीएच40.
4. राजश्री जयरामन (2014) स्प्राथमिक विद्यालय पर विद्यालय के मध्याह्न भोजन का प्रभाव भारत की मध्याह्न भोजन योजना के दृष्टिकोण, अनुदान जेए 1675/2-1।
5. मोहम्मद जुबैर कालस (2014) सुप्रीम्न भोजन योजना जिला के विभिन्न स्कूलों का एक अध्ययन, जून-जुलाई, 2014। आवाज़।
6. फॉल (2012) एसएचए प्लेस फॉर द ग्रासरूट्सरू एक्सीमिनिंग द रोल ऑफ़ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन की पेशकश में भागीदारी भागीदारी और स्थानीय शासन एसएच (2012)। स्वतंत्र अध्ययन परियोजना (आईएसपी) संग्रह।
7. करबी डेका (2021) मिड-डे माइल्स का प्रभाव (एमडीएम) प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की उपस्थिति पर कार्यक्रम जिले के रानी क्षेत्र में, असम, इनमैन ह्यूसिटीज़ एंड सोशल साइंस वॉल्यूम 9 का जर्नल 7 (2021) प्रा. 04 -09।
8. त्रिपुरारी कुमार (2018) श्झारखंड के चतरा जिले में मध्याह्न भोजन योजना का मूल्यांकन, 5, प्र. 412 - 418।
9. चेतन और प्रभात प्रभात (2018) श्मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के बच्चों के पोषण स्तर पर प्रभाव, आवाजें। 8, अंक 5, अक्टूबर 2018, 37-46।
10. एक जोगलेकर (2015) स्कूल जाने वाले बच्चों की क्षमता क्षमता पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रभाव छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के संदर्भ में। रायपुर (छ.ग.) 492001, भारत
11. वजीर सिंह धनखड़ (2015) शहरियाना के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय स्थानीय भोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन, श खंड। 4 द्य अंक 5 द्य मई 2015।
12. डॉ. वर्किंग हुसैन (2018) कार्यक्षेत्र के मध्याह्न भोजन का मूल्यांकन पर प्रभावरू मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के नबाग्राम ब्लॉक का एक मामला कायम, खंड - 8 द्य निर्गम - 2 जून -2018।

Corresponding Author

Ashish Jyotishi*

Research Scholar, Department of Education, Sardar Patel University, Balaghat.

www.ignited.in